

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- मुसप्र/2015/566

दिनांक:- 2/6/15

आदेश

उप आवासन आयुक्त वृत्त-उदयपुर के अधीन गोवर्धन विलास योजना (जी+3) सरप्लस हुए फ्लेटों एवं रेण्टल योजनाओं में रिक्त पड़े आवासों को अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-तृतीय के प्रस्तावानुसार नीलामी के माध्यम से नियमानुसार निस्तारण किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है। नीलामी के अन्तर्गत निस्तारण किये जाने वाले आवासों का विवरण निम्नानुसार है :-

आय वर्ग	योजना का नाम	आवास संख्या
MIG-A (G+3)	गोवर्धन विलास, उदयपुर प्लिंथ एरिया 74.61 वर्ग मीटर	Ground Floor = GVF/E-02, E-03, H-04, J-03, M-04, = 05 Nos. First Floor = GVF/G-07, K-07, = 02 Nos. Second Floor = GVF/E-11, F-10, G-9, G-11, I-12, J-09 = 06 Nos. Third Floor = GVF/E-16, F-15, G-16, H-15, J-15, K-15, L-14, L-15, M-14, M-15 = 10 Nos.
MIG-A	गोवर्धन विलास उदयपुर	4/33 = 01 Nos. (6.00 x 11.25 Mtr)
MIG-B	(रेण्टल आवास)	1/96 = 01 Nos. (7.50 x 15.00 Mtr.)
HIG		1/40 = 01 Nos. (11.25 x 21.00 Mtr.)

बोर्ड बैठक दिनांक 24.04.13 के बिन्दु संख्या 218.87 के निर्णयानुसार रेण्टल योजना के आवासों का निस्तारण किया जा रहा है।

उक्त आदेशों को माननीय अध्यक्ष महोदय एवं आवासन आयुक्त महोदय से अनुमोदन प्राप्त है।


मुख्य सम्पदा प्रबंधक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव, आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सहायक, सचिव/वित्तीय सलाहकार/मुख्य अभियन्ता(मु0), प्रथम /द्वितीय/ निदेशक (विधि)/मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (मु0)/प्रथम/द्वितीय,/पी.एण्ड.एम/अति0 मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. उप आवासन आयुक्त वृत्त.....राजस्थान आवासन मण्डल,।
6. आवासीय अभियन्ता खण्ड..... राजस्थान आवासन मण्डल.....।
7. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड व सभी को मेल करें।
8. सहायक निदेशक, जनसम्पर्क अधिकारी, राज0 आ0 मण्डल, जयपुर।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र (मु.) राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।


मुख्य सम्पदा प्रबंधक